लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, **राजकीय उद्योगशाला खण्ड, रूड़की** के माह 03/2010 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री आर.एन. यादव, डी.के. मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01/08/2016 से 08/08/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संपादित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, **राजकीय उद्योगशाला खण्ड, रूड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

प्रस्तावना:-

1. इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री एस.के.जौहरी एवं बी.सी.मुखर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20/03/2010 से 03/04/2010 तक श्री सी.एस.बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 20/03/2010 से 03/04/2010 तक में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह 10/2005 से 02/2010 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2010 से 06/2016 तक के लेखाभिलेखों की समान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं ने खण्ड का कार्यभार संभाले रखा।

1- श्री विजेन्द्र गौंड, विगत लेखापरीक्षा से 17.07.2010 तक
2- श्री एन.के.यादव 17.07.2010 से 09.08.2011 तक
3- श्री जे.पी. तनेजा 09.08.2011 से 04.03.2014 तक
4- श्री आर.एस. शर्मा 04.03.2014 से 29.06.2015 तक
5- श्री वी.एस. पाल _ 29.06.2015 से वर्तमान तक

3. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे:-

1- श्री पी.सी. राजा, विगत लेखापरीक्षा से 12/2012 तक
2- श्री माता प्रसाद, 12/2012 से 07/2015 तक
3- श्री डी.एस. रावत, 07/2015 से वर्तमान तक

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 05/2015 को खण्ड का निरीक्षण किया गया।

5- खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी 09/2015 तक एवं 09/2015 में हुई।

6- फार्म 51: माह 03/2016 तक कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

भाग प्रथम ` 10.00

भाग द्वितीय ` 178886.00

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 06/2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 48,09,912.51

वित्तीय वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय
2012-13	2701	12.71	12.70
2013-14	2701	13.20	13.15
2014-15	2701	11.00	10.97
2015-16	2701	18.01	17.97
2016-17 (Up to 07/16)	2701	4.00	-

(ख) सामग्री क्रय परिशोधन -

(ग) नकद परिशोधन -

(घ) निक्षेप ` (-) 6211972.15

(ड) स्टाक ` 21700406.19

7- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत थी:-

dze la[;k	ys[kkijh{kk fujh{k.k izfrosnu la0@o"kZ	vfuLrkfjr izLrj	
		Hkkx&nks ^v*	Hkkx&nks ^c*
1.	58/04-05	-	2

9. अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य

10. सतत अनियमिततायेँ:- शून्य

11. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

` लाख मे

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः1- प्रकीर्ण अग्रिम धनराशि ` 48.09 लाख वसूली/समायोजन लम्बित रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उद्योगशाला खण्ड, रूड़की के अभिलेखों की नमूना जांच (08/2016) के अनुसार पाया गया कि खण्ड के प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका के अनुसार कुल ` 48.09 लाख असमायोजित पड़े हुए थे (माह 03/2016 के अनु॰)। जिनमें से (**I)** खण्ड के विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम-विद्युत चार्जेज, अनुग्रह धनराशि एवं यात्रा भत्ता के लिए ` 6.02 लाख तथा (**II)** राजकीय कार्यालय खण्ड एवं फर्मो आदि के नाम ` 42.08 लाख लम्बित थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

item no.	month of transaction	विवरण	closing Balance 03/2016 `
		I. विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम बकाया विधुत चार्जेज, अनुगृह धनराशि एवं यात्रा भत्ता। II. राजकीय कार्यालय खंड एवं फ़र्मे आदि।	6,01,938.30
01/01	12/08	m/s Modi Gas and Chemicals Modinagar	112606.21
02/02	08/09	M/s Steel Authority of India, Gaziabad	(-)63355.00
03/04	03/14	M/s mangal Deep steel, Gaziabad	455922.00
04/08	08/12	EE Tubewell Div, Haldwani	243960.00
05/10	03/14	EE Erection Div, Roorkee	513166.00
06/12	03/14	EE Tubewell Div, Roorkee	1362535.00
07/12	03/14	EE Tubewell Div, Ramnagar	1497920.00
08/12	03/16	EQUADC Pump industries Indore	7120.00
09/12	03/16	Deputy Dir./E.Eng/Training/Project/Chief Engg. (Kumaun) Kalagarh Roorkee Office	78100.00
		योग `	**4207974.21**
		Grand Total	**4809912.51**

उपरोक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि सभी संबंधित कर्मचारियों से वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है शीघ्र ही समायोजन की कार्यवाही की जायेगी, इंगित अवशेष अग्रिम की धनराशियां संबंधित फर्मों से समायोजन देयक प्राप्त न होने के कारण अवशेष पड़े है समायोजन हेतु सभी संबंधित फर्मों से पत्राचार कर समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि असमायोजित/लम्बित पड़ी थी, जिसका समायोजन किया जाना लम्बित था।

इस प्रकार असमायोजित/लम्बित प्रकीर्ण अग्रिम धनराशि ` 48.09 लाख का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः2- निक्षेप कार्य पर ग्राहक विभाग से प्राप्त निक्षेपित धनराशि से अधिक व्यय ` 72.28 लाख किया जाना।

निक्षप कार्यो के संबध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड – **VI** के पैरा- 580 में उल्लिखित है कि 'निक्षेपित कार्यों में व्यय के संबंध में यह अपेक्षित है कि वह प्राप्त निक्षेपित राशि की सीमा के अधीन हो।'

अधिशासी अभियन्ता, उद्योगशाला खण्ड, रूड़की के अभिलेखों की नमूना जांच (08/2016) में पाया गया कि जनपद अल्मोड़ा के कोसी नदी पर सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु बैराज निर्माण परियोजना कार्य की स्वीकृति विशेष योजना सहायता (एस॰पी॰ए॰) के अंतर्गत माननीय सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र स॰ 22/11-2013-04(05)/2012 टी॰सी॰/दिनांक 11/03/2013 द्वारा लागत `**3358.98** लाख की दी गयी थी। उक्त बैराज के गेटों का निर्माण कार्य निक्षेप कार्य (**deposit work**) के रूप में उद्योगशाला खण्ड, रूड़की को ग्राहक विभाग द्वारा प्राप्त हुआ। उधोगशाला खण्ड ने प्रथम एवं द्वित्तीय स्टेज एबेटमेंट तथा शटर की ड्राइंग के आधार पर ` 429.15 लाख का एक अनुमानित प्राक्कलन सिंचाई खंड अल्मोड़ा को दिनांक 30.03.2013 को भेजा जिसके आधार पर उधोगशाला खंड को ` 395.00 लाख का भुगतान प्राप्त हुआ। तदोपरान्त उधोग शाला खंड द्वारा प्रथम स्टेज तथा द्वित्तीय स्टेज के फैब्रिकशन कार्य प्रारम्भ कराया गया। कोसी बैराज से संबन्धित गेटों एवं अन्य तत्संबंधित कार्यों के संशोधित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर कार्य का संशोधित प्राक्कलन `**677.86** लाख का गठित किया गया जिस पर तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पत्रांक-6693/मु॰अ॰/गढ़वाल/ई-30 (प्राक्कलन) दिनांक :9 सितम्बर 2015 के माध्यम से लागत ` 677.86 लाख की प्रदान की गयी। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल अल्मोड़ा के पत्रांक : 1062/सि॰का॰म॰अ॰/एस-17, दिनांकः24 मार्च 2015 द्वारा अवगत कराया गया कि कोसी बैराज निर्माण की प्रायोजना में बैराज के 5 संख्या गेटों एवं हाईस्ट सिस्टम की स्थापना हेतु ` 6,11,65,000.00 का प्राविधान किया गया है तथापि उक्त कार्य का प्राक्कलन उक्त प्राविधानित राशि से अधिक ` 677.86 लाख का गठित किया गया।

आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त निक्षेप कार्य हेतु ग्राहक विभाग (सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा) से मात्र ` 6,15,00,000.00 ( ` 3,95,00,000 + ` 2,20,00,000 = ` 6,15,00,000) की निक्षेपित धनराशि लेखा परीक्षा तिथि तक उदयोगशाला खण्ड को प्राप्त हुई थी। जबकि उक्त कार्य पर कुल ` 6,87,28,076.00 का व्यय प्रभारित किया गया था। इस प्रकार निक्षेप में प्राप्त राशि से ` 72.28 लाख (` 687.28 -` 615.00) का अधिक व्यय किया गया, जो निक्षेप कार्य संबंधी वित्तीय प्रावधानों के विपरीत था।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि आंकड़ों के अनुसार कार्य पर कुल ` 6,87,28,076.00 का जो व्यय दिख रहा है। वह कुछ अन्य मदों/प्रकीर्ण मदों का व्यय त्रुटिवश सम्भवतः इस कार्य पर वहन हो जाने के कारण परिलक्षित हो रहा है, जिसको अभिलेखों की पूर्ण जांच कर सही कर दिया जायेगा, जहां तक निक्षेप मद में प्राप्त धनराशि ` 615.00 लाख के सापेक्ष व्यय का प्रश्न है अवगत करना है कि खण्ड द्वारा कार्य पर भुगतान प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत ही किया गया है दर्शित व्यय में सम्भवतः फर्मो आदि से प्राप्त सामग्री के मूल्यों को भी समाहित कर दिखाया गया है जबकि इनका अभी दायित्वों स्वरूप भुगतान किया जाना अवशेष है जो कि सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा से अवशेष धनराशि ` 62.86 लाख प्राप्त कर निस्तारित किया जाना है।

खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है क्योंकि खण्ड द्वारा कार्य का निष्पादन कर हस्तगत कर दिया गया था तथा उक्त कार्य पर ` 687.28 लाख का व्यय प्रभारित किया गया था, जबकि कार्य हेतु मात्र ` 615.00 लाख की निक्षेपित धनराशि ही प्राप्त हुई थी।

इस प्रकार निक्षेप कार्य पर ग्राहक विभाग से प्राप्त निक्षेपित धनराशि से अधिक व्यय ` 72.28 लाख किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, **राजकीय उद्योगशाला खण्ड, रूड़की** को भेजा जाएगा, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II